Reduction in interest rate for housing loans

2980. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to reduce the interest rate for housing loans advanced by nationalised banks;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Lending rates of commercial banks for all categories of loans including housing, are prescribed by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. RBI has decided to reduce effective from March 2, 1992 the leanding rate on credit limits of over Rs. 2 lakh by one percentage point, from 20.0 percent (minimum) to 19.0 percent (minimum). The lending rates are fixed by Reserve Bank of India keeping in view of the monetary and credit developments and the inflationary pressures in the economy.

Seminar on NRI investment

2981. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a review of the various schemes to attract NRI investments, including the Development Bond Schemes was made at a 2-day seminar in New Delhi, in the first week of January this year, on "India and the people of Indian origin, Cooperation for Mutual Gain";

(b) if so, what were the main observations and criticisms of Government's schemes and policy made at the Seminar; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Government have not organised any seminar in the first week of January, 1992 and have not been associated with any such seminar, Government attaches great importance to NRI investments, and its policies are framed from time to time to make NRI investments more attractive.

Treating Indian citizens at par with NRI's

2982. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to treat the Indian citizens who wish to invest in productive activity in the country at par with the NRI's;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the decision if any, taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) There is no such proposal under consideration of the Government.

(b) and (c) Does not arise.

निर्धन और कमजोर वर्गों को ऋण

2983. **मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से निर्धन और कमजोर वर्गों के लोगों को पांच हजार रुपए तक का कर्ज नाममात्र ब्याज पर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो देश के सहकारी बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा सभी गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जिनकी अग्रणी जिलों में अग्रणी बैंक सम्बन्धी जिम्मेदारियां हैं, विभेदक ब्याज दर योजना चलाई जा रही है। विभेदक ब्याज दर (डी०आर०आई० योजना के तहत, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र ऋण-कर्ताओं को जिनके उत्पाद संबंधी प्रयासों से वार्षिक आय शहरों तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6,500 रुपए तक है, 4 प्रतिशत की रियायती दरों पर ऋण दिए जाते हैं।

अनुसचित वाणिज्यिक बैंकों की अग्रिमों के लिए 2.3.1992 से प्रभावी ब्याज दर संरचना ब्याज कर को छोड़कर निम्नानुसार है:—

(प्रतिशतता प्रतिवर्ष)

सीमा का आकार	ब्याज दर
(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डी०आर०आई० योजना के तहत 6500 रुपए तक के ऋण	4.0
(ii) 7500 रुपए तक तथा इसके समेत	11.5
(iii) 7500 रुपए से अधिक तथा 15000 रुपए तक	13.0
(iv) 15000 रुपए से अधिक तथा 25000 रुपए तक	13.5
(v) 25000 रुपए से अधिक तथा 50,000 रुपए तक	15.5
(vi) 50,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए तक	16.5
(vii) 2 लाख रुपए से अधिक	19.0 (न्यूनतम)

उपर बताए गए के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ब्याज की दरों में बहुत अन्तर है जो ऋण के आकार पर निर्भर है। दूसरी ओर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के प्रचालन का स्तर इस प्रकार है कि वे डी०आर०आई० के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक की निम्न दर पर ऋण नहीं दे सकते। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें इस योजना से बाहर रखा है।

अल्प ऋणों की वसूली

2984. **मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पांच हजार रुपये तक का बैंक कर्ज अदा न करने पर सरकार की ओर से वसूली की कार्यवाही न करने के अनुदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो सहकारी बैंकों द्वारा उन निर्धन व्यक्तियों से धन की वसूली के लिए कार्यवाही किए जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने केवल दो हजार रुपए तक का ही ऋण लिया हुआ था और कुछ जायज मजबूरियों की वजह से उसे अदा नहीं कर पाए; और

(ग) इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) बैंकों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार, सभी ऋण-कर्ताओं जो बैंकों से किसी प्रकार का ऋण/वित्त निभाव प्राप्त करते हैं, उन सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे बैंक और उधारकर्ता के बीच वापसी भुगतान की सम्मत अनुसूची के अनुसार वापस करेंगे। इस बारे में यदि ऋण-कर्ता कोई चूक करता है तो चूक की रकम चाहे कुछ भी हो, इसकी वसूली के लिए उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण-कर्ताओं से बकाया की वसूली करना, उनकी साधारण गतिविधियां हैं, तथा इस विषय में सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं।

Impact of Government's Decision on Bringing Gold into the Country and Convertibility of Rupee

2985. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRIMATI BASANTI SARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what has been the fall in gold prices till 10th March 1992 at the bullion market in the country since Government's decision to allow N.R.Is to bring with them gold to the extent of five kilos;

(b) whether this decision has made any impact on international prices of gold;

(c) what is Government's expectation of import of gold in next financial year as result of this decision;

(d) whether there has been any impact on value of rupee *vis-a-vis* foreign currencies due to the decision of partial convertibility of rupees; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The price of gold in Bombay bullion market fell from Rs. 4700 per 10 grammes on 27th February 1992 to Rs. 4176 per 10 granmes on 10th March, 1992.

(b) No, Sir.

(c) It is expected that legal imports of gold will significantly rise in the next year at the expense of such imports through illegal channels.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.